

आर - 1378/622/1-3

प्रश्न सं. [क. 3440]

विषय :

विषय:-म.प्र.विधान सभा सचिवालय में स्वीकृत 20 संविदा कम्प्यूटर
आपरेटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों को नियमित पद की
स्वीकृति प्रदान किये जाने बाबत।

एम्बीस-२ सचिवालय

मं-11


जा विभाग

डा.यु. अर

पूर्व पृष्ठ से:-

विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण/टीप के संबंध में
लेख है कि दिनांक 05 जून, 2018 को जारी संविदा नीति-निर्देश की
कंडिका 1.1 के अनुसार किसी भी विभाग की स्थापना में पूर्व से
स्वीकृत संविदा आधारित पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करने के
लिए वित्त विभाग की सहमति का होना आवश्यक है। अतः प्रकरण
में वित्त विभाग अपनी सहमति प्रदान करता है तो इसमें सामान्य
प्रशासन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

(अपर मुख्य सचिव, सा.प्र.विभाग द्वारा अनुमोदित)



(शैलबाला ए.मार्टिन)

su

अपर सचिव


सामान्य प्रशासन विभाग

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा

उपरोक्त अनुमोदन अनुसार प्रशासकीय विभाग की नस्ती में
परामर्श टीप अंकित कर हस्ताक्षर उपरांत लौटाने हेतु प्रस्तुत है।

अनु0अधि0(3)



D



50-

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-

312/1378/2022/13
13-7-2022

11/7/22
11/7/22

